संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर शिवाजी नगर मध्य प्रदेश भोपाल
ई–मेल ddnursing13@gmail.com

क्रमांक– 09 / नर्सिंग / ई–1 / 2025 / 549 भोपाल दिनांक ....

काउन्सलिंग हेतु दिशा-निर्देश

नर्सिंग ऑफिसर के पद पर काउन्सलिंग हेतु निम्नानुसार काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

नेताजी सुभाषचंद्र बोस, चिकित्सा महाविद्यालय में स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा स्टॉफ नर्स की पद पूर्ति हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी, आयोजित परिक्षा में 209 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम दिनांक 27 जनवरी, 2022 को घोषित किया गया था।

नर्सिंग ऑफिसरों के रिक्त पदों की काउन्सलिंग माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमॉक 2211/2023 में पारित आदेश दिनॉक 05/04/204 के पालन में विभाग द्वारा माननीय मंत्रि-परिषद की सहमति उपरान्त मंत्रालय के आदेश क्रमॉक 1618 दिनॉक 05/12/2024 के अनुपालन में मेरिट सूची के 209 अभ्यर्थियों में से 56 अभ्यर्थियों को चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में नियुक्ति दिये जाने हेतु नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है, शेष 153 अभ्यथियों को मेरिट कम च्वाईस फिलिंग अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों में आबंटन एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से काउन्सलिंग कर निम्न शर्तो के अनुसार किया जाना है -

1. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा संयुक्त भरती परिक्षा वर्ष 2022 के समूह 5 के अन्तर्गत कोड-01 में परीक्षा परिणामों के संबंध में जारी मैरिट सूची ही कांउसलिंग की चयन सूची होगी।
2. यह काउंसलिंग एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से की जावेगी। इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित शुल्क रूपये 600+जी.एस.टी. ऑनलाईन देय होगा।
3. मैरिट सूची के समस्त अभ्यार्थियों को काउंसलिंग संबंधी जानकारी विभाग की वेबसाईट https://www.health.mp.gov.in एवं एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर प्रदर्शित कर प्रदाय की जायेगी।
4. मेरिट सूची (चयन सूची) के अभ्यार्थियों को मेरिट के आधार पर एवं उनके द्वारा दिये गये चिकित्सा महाविद्यालयों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों का आवंटन एम.पी. ऑनलाईन द्वारा किया जायेगा।
5. अभ्यार्थियों द्वारा Choice Filling दिनांक 28/07/2025 से 03/08/2025 तक की जा सकेगी ।

6. अभ्यार्थियों द्वारा Choice Filling के समय अपने विकल्प अनुसार (रिक्त पद की स्थिति अनुसार) वर्गवार समस्त उल्लेखित चिकित्सा महाविद्यालयों की वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा।

7. Choice Filling करते समय प्रदर्शित समस्त विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा ।

8. विकल्प चयन उपरान्त भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा भुगतान उपरान्त ही विकल्प चयन मान्य होगा ।

9. Choice Filling करने के बाद सबमिट किये जाने व राशि भुगतान उपरांत वरीयता के कम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

10 . अभ्यार्थियों की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जावेगी।

11. काउसलिंग में अभ्यार्थी को आवंटित चिकित्सा महाविद्यालय अंतिम होगा। आबंटित संस्थान में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत निथी पर अनुपस्थित रहते है अथवा दस्तावेज स्तयापन उपरान्त अपात्र होते है उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हूये उक्त पदों को रिक्त माना जायेगा ।

12. ऐसे अभ्यार्थी जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते है अर्थात काउन्सलिंग की प्रक्रिया में भाग नही लिया जाता है तो विभाग विनिश्चय अंतिम होगा विभाग की अपनी आवश्यकता अनुसार पद स्थापना की जायेगी ।

13. अभ्यार्थी को आवंटित चिकित्सा महाविद्यालयों में नियत तिथि पर संबंधित कार्यालय अधिष्ठाता में दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा ।

14. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों चयनित अभ्यर्थियों की सूची, नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात जानकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे ।

15 किसी भी विधि संब्रंधी विवाद की स्थिति में आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।

16. किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।

आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित

28/7/25

अपर संचालक (अराजपत्रित)

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश